भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 925

दिनांक 07 फरवरी, 2020 को उत्तर के लिए

निर्भया कोष

925. श्री पी॰सी॰ गद्दीगौदरः
श्री अजय निषादः
श्रीमती माला रायः
श्री पंकज चौधरी
एडवोकेट अदूर प्रकाशः
श्रीमती रीती पाठकः
श्री जुगल किशोर शर्माः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निर्भया कोष योजना के तहत विभिन्न राज्यों को आवंटित निधि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने उक्त योजना के तहत निधि के अल्प या कम उपयोग पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार योजना के तहत आबंटित निधि के उपयोग के संबंध में कोई आंकड़ा रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार द्वारा इस योजना के तहत प्राप्त और स्वीकृत प्रस्तावों का आवंटित निधि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) इस योजना के तहत अब तक राज्य-वार शुरू की गई परियोजनाओं, आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और
(च) महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा इस योजना के तेजी से प्रसार के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (च) : पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्भया फंड के तहत विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों के लिए आबंटित/निर्मुक्त और उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है । प्राप्त और स्वीकृत प्रस्तावों का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है । निर्भया ढांचे के तहत गठित अधिकारियों की अधिकार-प्राप्त समिति(ईसी) निर्भया फंड के तहत वित्त पोषण के लिए प्रस्तावों का आकलन और सिफारिश करती है और समय-समय पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों/कार्यान्वयन एजेंसियों के सहयोग से उनके कार्यान्वयन की स्थिति की भी समीक्षा करती है । ईसी द्वारा आरंभिक आकलन के बाद, संबंधित मंत्रालय/विभाग वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार व्यय वित्त समिति(ईएफसी)/स्थायी वित्त समिति(एसएफसी)/लोक निवेश बोर्ड(पीआईबी)/ प्रत्यायोजित निवेश बोर्ड(डीआईबी) द्वारा अपनी संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों का मूल्यांकन कराते हैं । उसके बाद, वे सक्षम वित्तीय प्राधिकारी(सीएफए) का अनुमोदन प्राप्त करते हैं, अपने संबंधित बजट से निधियां निर्मुक्त कराते हैं और प्रत्यक्ष रूप से या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से अनुमोदित परियोजनाओं/स्कीमों का कार्यान्वयन करते हैं ।

*****

अनुलग्नक-**I**

'निर्भया कोष' विषय पर दिनांक 07 फरवरी, 2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 925 के उत्तर के भाग(क) से(ग) में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्भया वित्तपोषित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित/निर्मुक्त निधियों का विवरण

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

1. वन स्टोप सेंटर(ओएससी) स्कीम

(लाख रुपए में **)**

क्र.सं.	राज्य	2016-17	प्रयुक्त राशि	2017-18	प्रयुक्त राशि	2018-19	प्रयुक्त राशि
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	31.21	31.21	36.88	38.00
2	आंध्र प्रदेश	268.97	268.97	330.14	0.00	390.63	180.24
3	अरुणाचल प्रदेश	28.41	28.41	53.20	38.19	782.02	14.57
4	असम	75.66	68.77	0.00	0.00	786.95	70.18
5	बिहार	198.90	0.00	0.00	0.00	308.32	0.00
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	9.31	0.00
7	छत्तीसगढ़	734.28	734.28	167.04	146.08	662.44	649.44
8	दादर और नगर हवेली	0.00	0.00	43.41	43.41	0.50	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	19.41	0.00	10.85	3.92	4.92	0.00
12	गुजरात	38.83	38.83	127.15	0.00	562.70	9.87
13	हरियाणा	116.49	107.99	38.30	24.00	479.61	51.06
14	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	15.00	15.00	101.19	0.00
15	जम्मू और कश्मीर	95.66	28.11	87.52	48.69	150.20	8.64
16	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	झारखंड	56.83	41.20	18.47	0.00	704.37	63.20
18	कर्नाटक	85.24	0.00	62.74	0.00	594.44	0.00
19	केरल	113.66	34.87	11.80	0.00	283.32	48.38
20	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	मध्य प्रदेश	773.48	645.83	131.27	51.25	1123.91	117.87
22	महाराष्ट्र	213.56	19.41	437.70	0.00	389.29	67.24
23	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	357.22	0.00
24	मेघालय	28.41	28.41	7.75	0.00	186.40	22.51
25	मिजोरम	0.00	0.00	61.41	61.41	272.65	15.13
26	नागालैंड	55.42	55.42	80.42	80.42	454.87	30.01
27	ओडिशा	15.00	15.00	120.33	29.18	774.60	0.00
28	पुद्दुचेरी	0.00	0.00	19.41	0.00	47.67	0.00
29	पंजाब	97.07	59.71	335.88	21.91	526.33	0.00
30	राजस्थान	341.23	122.69	28.96	52.29	308.60	87.81
31	सिक्किम	0.00	0.00	30.71	0.00	39.23	0.00
32	तमिलनाडु	0.00	0.00	38.83	23.82	1139.95	0.00
33	तेलंगाना	155.32	138.07	301.72	51.92	589.49	105.19
34	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	269.01	0.00
35	उत्तर प्रदेश	454.63	297.34	266.23	35.73	2228.30	39.72
36	उत्तराखंड	58.24	53.07	138.86	109.56	272.25	125.20
37	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. महिला हेल्पलाइन स्कीम का सार्वभौमीकरण

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य	**2016-17**	प्रयुक्त राशि	**2017-18**	प्रयुक्त राशि	**2018-19**	प्रयुक्त राशि
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	50.95	0.00
2	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	60.60	54.92
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	59.50	59.50	81.36	58.64
4	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	16.12	16.12
5	बिहार	0.00	0.00	38.07	38.07	54.94	32.59
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	89.16	89.16	58.93	26.65
7	छत्तीसगढ़	37.91	37.91	63.64	63.64	85.35	51.27
8	दादर और नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	34.08	3.64	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	गुजरात	0.00	0.00	178.80	178.80	89.40	0.00
13	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	33.83	0.00
16	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	केरल	0.00	0.00	21.64	21.64	67.65	33.57
20	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	32.70	0.00
25	मिजोरम	0.00	0.00	85.20	85.20	85.20	51.12
26	नागालैंड	29.12	29.12	76.33	76.33	68.16	34.08
27	ओडिशा	0.00	0.00	30.17	30.17	98.65	81.61
28	पुद्दुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	51.08	0.00
29	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	27.19	0.00
30	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	33.81	0.00
32	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	46.50	0.00
33	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	40.11	40.11	88.55	43.85
36	उत्तराखंड	0.00	0.00	46.79	46.79	57.61	49.85
37	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. महिला पुलिस स्वयंसेवी स्कीम

(रुपए लाखो में)

क्र.सं.	राज्य	**2016-17**	प्रयुक्त राशि	**2017-18**	प्रयुक्त राशि	**2018-19**	प्रयुक्त राशि
1	अंडमान व निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	75.82	75.82	0.00	0.00	445.57	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	715.55	152.78	0.00	0.00
8	दादर और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	गुजरात	0.00	0.00	76.20	41.65	0.00	0.00
13	हरियाणा	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00
17	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64	0.00
18	कर्नाटक	0.00	0.00	56.13	0.00	0.00	0.00
19	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	30.18	0.00	0.00	0.00
22	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	मिजोरम	0.00	0.00	35.85	0.00	0.00	0.00
26	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	ओडिशा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	पुद्दुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4. अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र परियोजनाएं

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	प्रयुक्त राशि
1	मध्य प्रदेश	0.00	104.70	0.00	0.00	0.00
2	नागालैंड	0.00	255.60	0.00	0.00	255.60
3	राजस्थान	23.00	253.00	195.00	0.00	108.89
4	उत्तराखंड	0.00	32.40	0.00	0.00	29.00

<u>गृह मंत्रालय</u>

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	गृह मंत्रालय द्वारा प्रयुक्त निधि
1	आंध्र प्रदेश	1642.5	442.5	0	0	2085.00
2	अरुणाचल प्रदेश	572.32	164.55	0	31.99	768.86
3	असम	1653.93	418.7	0	47.09	2119.72
4	बिहार	1951.6	247	0	60	2258.60
5	छत्तीसगढ़	1428.31	259.1	0	44.09	1731.50
6	गोवा	582.41	162.6	0	31.58	776.59
7	गुजरात	1577.41	271.9	5155	4430.79	11435.10
8	हरियाणा	1418.5	253.37	0	51.52	1723.39
9	हिमाचल प्रदेश	591.83	165	359	401.54	1517.37
10	जम्मू और कश्मीर	871.12	169.8	173.5	41.6	1256.02
11	झारखंड	450	1119.81	0	0	1569.81
12	कर्नाटक	1943.71	446.1	16726	56.28	19172.09
13	केरल	1493.27	435	0	43.5	1971.77
14	मध्य प्रदेश	2180	1703.96	433	0	4316.96
15	महाराष्ट्र	1765	1743.06	11432	5617	20557.06
16	मणिपुर	480.53	162.75	235.5	285.98	1164.76
17	मेघालय	513.39	162	0	27.49	702.88
18	मिजोरम	486.09	162	209.5	183.11	1040.70
19	नागालैंड	497.86	162.75	0	36.94	697.55
20	ओडिशा	2008.71	261.82	0	176.28	2446.81
21	पंजाब	1338.48	254.52	399	454.08	2446.08
22	राजस्थान	2558.03	441.07	314	374.1	3687.20
23	सिक्किम	23	590.33	0	0	613.33
24	तेलंगाना	1547.15	433.95	8314	4050.78	14345.88
25	तमिलनाडु	1530.58	299.5	17181	7198.28	26209.36
26	त्रिपुरा	553.09	163.5	50	186.98	953.57
27	उत्तर प्रदेश	2790	470.85	7079	1580	11919.85
28	उत्तराखंड	787.29	165.98	0	0	953.27
29	पश्चिम बंगाल	2143.05	431.75	4996	52.09	7622.89
30	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	329.58	161.75	0	0	491.33
31	चंडीगढ़	424.52	160.75	0	0	585.27
32	दादर और नगर हवेली	10	410	0	151.52	571.52
33	दमन और दीव	10	410	0	160.45	580.45
34	दिल्ली	3280	913.12	7424	27538	39155.12
35	लक्षद्वीप	10	456.71	0	0	466.71
36	पुदुचेरी	333.41	162.75	0	0	496.16

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(रुपए लाखो में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	प्रयुक्त राशि
1	आंध्र प्रदेश	0.00	5864.00	0.00	0.00	0.00
2	उत्तर प्रदेश	0.00	4020.00	0.00	0.00	3110.00
3	कर्नाटक	0.00	0.00	3364.00	0.00	383.00

न्याय विभाग

(रुपए लाखो में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	प्रयुक्त राशि
1	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	15.08	0.00
2	झारखंड	0.00	0.00	0.00	4.95	0.00
3	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00
4	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00
5	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00
6	ओडिशा	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00
7	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	31.05	0.00
8	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	5.85	0.00
9	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00
10	केरल	0.00	0.00	0.00	6.30	0.00
11	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	6.98	0.00
12	गुजरात	0.00	0.00	0.00	3.94	0.00
13	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	1.69	0.00
14	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00
15	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00
16	चंडीगढ़ प्रवेश	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00
17	पंजाब	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00
18	असम	0.00	0.00	0.00	1.69	0.00
19	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00
20	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00
21	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00
22	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	2.78	0.00
23	बिहार	0.00	0.00	0.00	2.03	0.00
24	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
25	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00
26	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00

अनुलग्नक -II

'निर्भया कोष' विषय पर दिनांक 07 फरवरी, 2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 925 के उत्तर के भाग(घ) में संदर्भित अनुलग्नक

निर्भया निधि के तहत परियोजना वार आंकलित निधियों का विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

मंत्रालय/ विभाग	क्र.सं..	प्रस्ताव का नाम	आंकलित
गृह मंत्रालय	1	आपातकालीन प्रत्युत्तर सहायता प्रणाली	321.69
	2	केंद्रीय पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि (सीवीसीएफ) का गठन	200.00
	3	संगठित अपराध जांच एजेंसी (ओसीआईए)	83.20
	4	महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध का निवारण (सीसीपी डब्ल्यूसी)	195.83
		सीसीपीडब्ल्यूसी के तहत उप-परियोजना	28.93
	5	दिल्ली में जिला एवं उपमंडल पुलिस स्टेशन स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं / परामर्शदाताओं की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव	5.07
	6	महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष इकाई (एसपीयूडब्ल्यूसी) के लिए महिला केंद्रित सुविधाओं के साथ नया भवन और नानकपुरा में उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए विशेष इकाई (एसपीयूएनईआर)	23.53
	7	ओडिशा सरकार के पुलिस आयुक्त कार्यालय, भुवनेश्वर-कटक, में 'सुरक्षित शहर परियोजना' लागू करने का प्रस्ताव	110.35
	8	दिल्ली पुलिस की महिलाओं की सुरक्षा स्कीम 'के तहत विभिन्न अन्य गतिविधियां	10.20
	9	आठ शहरों - दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद और लखनऊ के लिए के लिए सुरक्षित शहर प्रस्ताव।	2919.55
	10	चंडीगढ़ के सीएफएसएल में आधुनिकतम डीएनए लैब की स्थापना।	99.76
	11	यौन उत्पीड़न मामलों के लिए फोरेंसिक किट की खरीद का प्रस्ताव	7.09
	12	13 राज्यों में एसएफएसएल में डीएनए विश्लेषण, साइबर फोरेंसिक और संबंधित सुविधाओं को सुदृढ़ करना	131.09
	13	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों में एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग इकाइयों की स्थापना और उन्हें सुदृढ करना।	100.00
	14	सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों (10,000 पुलिस स्टेशनों में) के पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क को सुदृढ/स्थापित करना।	100.00
रेल मंत्रालय	15	समेकित आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रबंधन प्रणाली (आईईआरएमएस)	500.00
	16	कोंकण रेलवे स्टेशन पर वीडियो निगरानी प्रणाली का प्रावधान	17.64
एमईआईटी/ आईआईटी दिल्ली	17	महिलाओं की सुरक्षा के लिए कारों और बसों के लिए पैनिक स्विच आधारित सुरक्षा उपकरण का विकास और फील्ड परीक्षण	3.49
न्याय विभाग	18	बलात्कार और पोक्सो एक्ट के तहत लंबित मुकदमों के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना	767.25
पर्यटन मंत्रालय	19	मप्र में महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल	27.98
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	20	आंध्र प्रदेश सरकार की महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा की अभय परियोजना का प्रस्ताव।	138.49
	21	उ.प्र. सरकार के सार्वजनिक परिवहन, यूपीएसआरटीसी में महिलाओं की सुरक्षा।	83.50
	22	भारी यात्री वाहनों के लिए महिलाओं के प्रशिक्षण का बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन कर्नाटक का प्रस्ताव	56.06
	23	राज्य-वार वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म के अनुकूलन, तैनाती और प्रबंधन के लिए सी-डैक का प्रस्ताव।	465.02
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	24	वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)	867.74
	25	महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) का सार्वभौमीकरण	155.94
	26	महिला पुलिस स्वयंसेवक (एमपीवी)	27.76
	27	चिराली परियोजना, महिला सशक्तिकरण निदेशालय	10.20
	28	मध्य प्रदेश सरकार का महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ हिंसा मुक्त स्मार्ट और सुरक्षित शहर कार्यक्रम	1.74
	29	उत्तराखंड सरकार का महिला सुरक्षा और संरक्षण कार्यक्रम	0.72
	30	उत्तराखंड सरकार का महिला सुरक्षा और संरक्षण कार्यक्रम	0.29
	31	निर्भया आश्रय गृह, नागालैंड	2.84
	32	महिला सुरक्षा के लिए तमिलनाडु सरकार की कार्यनीतिक संचार पहल।	1.45
	33	निर्भया डैशबोर्ड के विकास हेतु एनआईसीएसआई	0.24

*****